न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :90 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 367)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सिन्धी निवासी गीता भवन के सामने झुल्लेलाल मन्दिर के पास श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. किरण पत्नी लखविन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः— 22.08.2023

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 26.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 की कुल 80.630 हैक्टेयर भूमि में से 3.111 हैक्टेयर भूमि देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। देवेन्द्र सिंह ने अपने नाम दर्ज 3.111 हैक्टेयर भूमि में से 0.569 हैक्टेयर भूमि जरिए पंजीकृत विलेख दिनांकित 31.03.2017 की रूह से वादी संख्या 1 को बेचान की थी। विक्रय विलेख का इन्तकाल भी इन्तकाल संख्या 971 दिनांक 20.04.2017 स्वीकृत होकर तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 के द्वितीय पृष्ठ के खाना संख्या 11, 12, 13 में दर्ज हो गया था। उक्त नामान्तरण के पश्चात वादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त 0.569 हैक्टेयर भूमि में से 0.117 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 21.07.2017 की रूह से वादिया संख्या 2 को बेचान कर दी। विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2017 का इन्तकाल भी इन्तकाल संख्या 988 दिनांक 08.08. 2017 स्वीकृत होकर तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 के तृतीय पृष्ठ के खाना संख्या 11, 12, 13 में दर्ज हो गया था। तत्पश्चात वादी संख्या 1 के नाम 0.452 हैक्टेयर रकबा खाता में बदस्तुर दर्ज रहा। आज से दो माह पूर्व वर्तमान चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 143/139 निकलवाई गई, तो वादीगण को पता चला कि वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का नाम ही दर्ज नहीं है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर वर्तमान जमाबन्दी में वादी संख्या 1 विक्की कुमार 0.452 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 2 किरण 0.117 हैक्टेयर दर्ज करवाना चाहते है। उक्त दुरुस्ती के लिए आज से 7 रोज पूर्व प्रतिवादी से सम्पर्क किया गया, तो प्रतिवादी द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चारा–जोही करने की हिदायत दी गई। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 की कुल 58.061 हैक्टेयर भूमि में दुरुस्ती करते हुए वादी संख्या 1 विक्की कुमार 0.452 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 2 किरण 0.117 हैक्टेयर दर्ज किए जाने के आदेश दिये जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4001 दिनांक 18.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 में दर्ज देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम

उपखण्ड अधिकारी (श्रीकरणपुर) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3.111 हैक्टेयर भूमि में से जरिए बैयनामा के इन्तकाल संख्या 971 के विक्की कुमार को 0.569 हैक्टेयर भूमि बैय की थी तथा आगे जरिए इन्तकाल नम्बर 988 बैयनामा के विक्की कुमार ने अपने नाम दर्ज 0.569 हैक्टेयर भूमि में से 0.117 हैक्टेयर भूमि किरण पत्नी लखविन्द्र सिंह को बैय कर दी। लेकिन जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से उक्त रकबा दर्ज करने से रह गया। देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह आदि ने उक्त खाते में से अपने हिस्से की कब्जा काश्त का खाता अलग बना लिया था। खाता संख्या 143 में दर्ज दान कौर पत्नी रेशम सिंह के नाम दर्ज 0.547 हैक्टेयर तथा देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज 0.266 हैक्टेयर भूमि में से क्रमश 0.547 हैक्टेयर व 0.022 हैक्टेयर रकबा विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल के नाम 0.452 हैक्टेयर तथा किरण पत्नी लखविन्द्र सिंह के नाम 0.117 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है। साक्ष्यवादी में गवाह बलराज सिंह व देवेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 की प्रति, बैयनामा इन्तकाल संख्या 971 दिनांक 20.04.2017 की प्रति, बैयनामा इन्तकाल संख्या 988 दिनांक 08.08.2017 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 की कुल 54.002 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 27 पर देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज 0.266 हैक्टेयर भूमि में से 0.022 हैक्टेयर भूमि व क्रम संख्या 28 पर दान कौर पत्नी रेशम सिंह के नाम दर्ज 0.547 हैक्टेयर का वादीगण विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल (0.452 हैक्टेयर) व किरण पत्नी लखविन्द्र सोनी (0.117 हैक्टेयर) को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाने बाबत निवेदन किया गया है। बलराज सिंह व देवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के मुताबिक खाता संख्या 143 में दादी दान कौर पत्नी रेशम सिंह का 0.547 हैक्टेयर तथा देवेन्द्र सिंह का 0.022 हैक्टेयर रकबा विक्की कुमार व किरण के नाम दर्ज किया जाता है। तो हमें कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 139/126 में दर्ज देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम 3.111 हैक्टेयर भूमि में से जरिए बैयनामा के इन्तकाल संख्या 971 के विक्की कुमार को 0.569 हैक्टेयर भूमि बैय की थी तथा आगे जरिए इन्तकाल नम्बर 988 बैयनामा के विक्की कुमार ने अपने नाम दर्ज 0.569 हैक्टेयर भूमि में से 0.117 हैक्टेयर भूमि किरण पत्नी लखविन्द्र सिंह को बैय कर दी। लेकिन जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से उक्त रकबा दर्ज करने से रह गया। देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह आदि ने उक्त खाते में से अपने हिस्से की कब्जा काश्त का खाता अलग बना लिया था। खाता संख्या 143 में दर्ज दान कौर पत्नी रेशम सिंह के नाम दर्ज 0.547 हैक्टेयर तथा देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज 0.266 हैक्टेयर भूमि में से क्रमश 0.547 हैक्टेयर व 0.022 हैक्टेयर रकबा विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल के नाम 0.452 हैक्टेयर तथा किरण पत्नी लखविन्द्र सिंह के नाम 0.117 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादीगण, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 की कुल 54.002 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 27 पर देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज 0.266 हैक्टेयर भूमि में से 0.022 हैक्टेयर भूमि व क्रम संख्या 28 पर दान कौर पत्नी रेशम सिंह के नाम दर्ज 0.547 हैक्टेयर का वादीगण विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल (0.452 हैक्टेयर) व किरण पत्नी लखविन्द्र सोनी (0.117 हैक्टेयर) को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सिन्धी निवासी गीता भवन के सामने झुल्लेलाल मन्दिर के पास श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. किरण पत्नी लखविन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 90/2023

निर्णय दिनांक :- 26.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 की कुल 54.002 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 27 पर देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह के नाम दर्ज 0.266 हैक्टेयर भूमि में से 0.022 हैक्टेयर भूमि व क्रम संख्या 28 पर दान कौर पत्नी रेशम सिंह के नाम दर्ज 0.547 हैक्टेयर का वादीगण विक्की कुमार पुत्र शंकरलाल (0.452 हैक्टेयर) व किरण पत्नी लखविन्द्र सोनी (0.117 हैक्टेयर) को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00
योग	**04**	**00**

मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अर्जी	00	00
मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**00**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 26.12.2025

क्रमांकः रीडर/2025/954

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)